—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर :—

बइजलास श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या 06/2011

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
समन्दर खां पुत्र अमीन खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी फागली तहसील व जिला नागौर।		1. शौकत खां पुत्र हरसम खां 2. साजीद खां पुत्र हरसम खां 3. सकील खां पुत्र हरसम खां जाति कायमखानी निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 4. हसीना पत्नी हरसम खां जाति कायमखानी निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 5. इमरान खां पुत्र लाल खां 6. बबलू खां पुत्र लाल खां 7. इन्साफ खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 8. इस्लाम बानो पत्नी लाल खां जाति कायमखानी निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 9. लियाकत खां पुत्र समंदर खां जाति कायमखानी तहसील व जिला नागौर। 10. पटवारी ग्राम पंचायत अमरपुरा तहसील व जिला नागौर। 11. सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा तहसील व जिला नागौर

प्रथम म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 397 जो ग्राम पंचायत अमरपुरा के द्वारा ग्राम फागली के खसरा नम्बर 465 व 466 के संबंध में दिनांक 20.09.2004 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थित अधिवक्ता :— श्री पीर मोहम्मद खान अधिवक्ता (अपीलांट)
श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता (रेस्पोडेन्स्टस)

निर्णय

दिनांक :— 27.12.2018

अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता समन्दर खां के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), नागौर

नम्बर 466 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके मौजा फागली में आई हुई थी। अपीलांट के चारो भाईयो के बीच भूमि का आपसी विभाजन होकर भूमि चारो भाईयो के अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हो गई। आपसी विभाजन अनुसार खसरा नम्बर 465 व 466 की भूमि अपीलान्ट समन्दर खां के खातेदारी बंट कब्जे में रखी गई तथा यह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में अलग से दर्ज हो गई। बंट के बाद इन दोनो खसरो की भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा खातेदारी चली आ रही है।

ग्राम फागली में समन्दर खां पुत्र अमीन खां नाम का एक ओर व्यक्ति था जिसके दादा का नाम कालू खां था तथा उसकी जाति खोखर कायमखानी मुसलमान थी। समन्दर खां कायमखानी खोखर के खातेदारी की अलग से भूमि मौजा फागली में आई हुई थी।

समन्दर खां खोखर कायमखानी की मृत्यु करीब सात साल पहले हो गई। रेस्पोडेन्टस समन्दर खां खोखर के वशंज है। रेस्पोडेन्टस ने तत्कालीन पटवारी व सरपंच वगैराह से मिलावट कर, षडयंत्र रचकर धोखाधडी से अपीलान्ट समन्दर खां की खातेदारी की भूमि का भी म्यूटेशन गलत व अवैध तरीके से अपने नाम भरवा लिया। मृतक समन्दर खां खोखर की खातेदारी की वास्तविक भूमि थी। उसका अलग से म्यूटेशन रेस्पोडेन्टस के नाम भरा गया लेकिन साथ के साथ अपीलांट की भूमि का भी धोखा फरेबी से म्यूटेशन रेस्पोडेण्टस ने अपने नाम भरवा लिया। अभी अपीलान्ट को ऋण की जरूरत होने से अपीलान्ट लगभग पन्द्रह दिन पहले पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी भूमि की खतौनी लेने गया तब पटवारी ने रेकर्ड देखकर बताया कि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में कोई भूमि नही है। यह भी बताया कि अपीलांट की भूमि मृतक समन्दर खां के बेटे पोतो के नाम चढी हुई है तब अपीलांट को सर्वप्रथम इस फर्जी व बिना अधिकार के भरे गये म्यूटेशन की जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी नही थी। अपीलांट के जीवित रहते अपीलान्ट के खातेदारी कब्जे की भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेन्टस के नाम स्वीकृत नहीं हो सकता। अपीलाधीन म्यूटेशन बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया गया होने से से प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,5,7,9,10,11 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 2,4,6,8 ने जवाब दावा व राजीनामा पेश कर अपील स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी गई। उभय पक्ष अपील स्वीकार करने हेतु सहमत है। उभय पक्ष की सहमति के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अमरपुरा के नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 20.09.2004 निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

27-12-18

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-12-18

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर